(3)

संख्या–92/XLI-1/2011–80/08

प्रेषक,

ओ0पी0तिवारी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

अधिष्ठाता,
प्रौद्योगिकी महाविद्यालय,
पंतनगर।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 16 :मार्च, 2011

विषयः– प्रौद्योगिकी महाविद्यालय पंतनगर में मन्दाकिनी छात्रावास में अतिरिक्त तीन विंगों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–सीटीई/बी–5/आयोजनागत/269, दिनांक 18.01.2011 एवं शासनादेश संख्या–246/XXIV(8)/2010–80/08, दिनांक 29.03.2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, पंतनगर में मन्दाकिनी छात्रावास में अतिरिक्त विंगों के निर्माण हेतु स्वीकृत आगणन ₹387.90 लाख के सापेक्ष अब तक अवमुक्त धनराशि ₹55.00 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि ₹332.90 लाख में से अगली किश्त के रूप में ₹50,00,000/– (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुये संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– व्यय उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की गई हैं। व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल एवं अन्य तद्विषय शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकता के आधार पर तथा व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहॉ आवश्यक हो वहॉ व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्बन्ध में समय–समय पर दिये गये निर्देशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराया जाय।

6– संस्था को अनुदानित धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कोषाधिकारी ऊधमसिंह नगर द्वारा सीधे आपको कर

दिया जायेगा। संबंधित कोषागार बीजक एवं दिनांक की सूचना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड तथा शासन को तत्काल भेजी जाय।

7– शासनादेश सं0 246/XXIV(8)/2010–80/08, दिनांक 29.03.2010 में विहित शेष शर्तें यथावत रहेगी।

8– कार्य की त्वरित प्रगति के संबंध में कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए कार्य में प्रगति की निरन्तर समीक्षा की जायगी तथा कार्य समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2203–तकनीकी शिक्षा–00–112–इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान–00–आयोजनागत–03–पंत कालेज आफ टैक्नौलौजी, पन्तनगर को सहायक अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार वहन किया जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1001(P)/XXVII-03/10-11 दिनॉक 23.02.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
6. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 मेडिकल कालेज इकाई, हल्द्वानी।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
9. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।

प्रपत्र बी.एम–15 (पैरा–158)

नियंत्रक अधिकारीः– सचिव, तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन
अनुदान संख्याः–11 आयोजनागत

प्रशासकीय विभाग :– प्राविधिक शिक्षा विभाग
(धनराशि रूपये हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण(मानक मद)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधी में व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुनर्विनियोग के बाद कॉलम–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद कॉलम 1 की अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2203–तकनीकी शिक्षा–112–इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान–08–तकनीकी विश्वविद्यालय–00–आयोजनागत 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता– 10000	–	–	10000	2203–तकनीकी शिक्षा–112–इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान–03–पंत कालेज ऑफ टैक्नोलॉजी पंतनगर को सहायक अनुदान–00–आयोजनागत 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता– 5000	15000	5000	कॉलम–1 में अधिक प्राविधान होने तथा कॉलम–5 में वर्णित मद में प्राविधानित धनराशि कम पडने के दृष्टिगत प्रश्नगत निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का प्रस्ताव किया जा रहा है।
योगः– 10000	–	–	**10000**	**5000**	**15000**	**5000**	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुवल के परिच्छेद 150, 151, 155 एवं 156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड सचिवालय
वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग–3
संख्या: 1001(P)(1)/XXVII(3)/2010–11
देहरादून दिनांक: 23 फरवरी, 2011

सेवा में,

महालेखाकार, उत्तराखण्ड
(लेखा एवं हकदारी),
ओबेराय विल्डिंग, माजरा देहरादून।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं [illegible]

1. अधिष्ठाता, प्रौद्योगिकी [illegible]
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड
3. कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर/देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग–3
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव

16.2